न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 34/2021
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

घीसा पुत्र बलदेव जाति बलाई नि0 ग्राम कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर

–अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 24-6-25
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का छापरी, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 116/1, रकबा 2.5290 हैक्टेयर, किस्म बारानी 2 राजस्व रिकार्ड में घीसा पुत्र बलदेव जाति बलाई नि0 ग्राम कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का छापरी रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार घीसा पुत्र बलदेव का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थीयो ने आवंटन शर्तो का पालन किया है। अतः आवंटन नियमो की शर्तों का पालन नहीं होने से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर आवंटन निरस्त करने की आज्ञा पारित की जावें। ग्राम गोविन्दपुरा, पटवारी हल्का छापरी, तहसील फुलेरा मु.सांभरलेक्र जिला जयपुर में स्थित उपरोक्त वर्णित भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने से 14(4) की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र 14(4) प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को तलबी नोटिस जारी किये गये। बावजूद सूचना अनुपस्थित। अप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। पैरोकार सरकार की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का छापरी, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 116/1, रकबा 2.5290 हैक्टेयर, किस्म बारानी 2 राजस्व रिकार्ड में घीसा पुत्र बलदेव जाति बलाई नि0 ग्राम कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का छापरी रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का उक्त आराजी खसरा पर कब्जा नहीं है तथा अन्य खातेदार द्वारा कब्जा काश्त किया जाना बताया गया। अतः आवंटन नियमो की शर्तों का पालन नहीं होने से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर आवंटन निरस्त करने की आज्ञा पारित की जावें। अतः कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त भूमि को सिवायचक घोषित करने के आदेश फरमावें।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

सरकार बनाम घीसा

34/2021

पत्रावली का अवलोकन किया गया, पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। उक्त भूमि जमाबंदी संवत 2075 से 2078 में खसरा नम्बर 116/1 रकबा 2.5290 हैक्टेयर, किस्म बारानी 2 राजस्व रिकार्ड में घीसा पुत्र बलदेव जाति बलाई नि0 ग्राम कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.01.2021 के अनुसार उक्त भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही है। प्रस्तुत रेफरेन्स में आवंटन की प्रमाणित प्रति व गिरदावरी की प्रतिया प्रस्तुत नही की है तथा ना ही यह वर्णित किया गया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आंवटित भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा किस प्रकार काश्त की जा रही है। इस संबंध में तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही की गई अथवा नहीं। अतः प्रार्थी तहसीलदार को नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त विधि की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रकरण तैयार कर चाराजोही किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा को रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि वे प्रकरण की जॉच करें। तत्पश्चात् नियमानुसार विधि क़ी सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुए यदि प्रकरण रेफरेन्स योग्य पाया जाता है तो आवंटियों के पूर्ण पते व वांछित आवंटन रिकार्ड एवं आवश्यक दस्तावेजात के साथ प्रकरण पुनः प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 26-6-21 को सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर